न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/भू०रा०/2017/1911

(23)

दिनेश पिता घीसालाल जाति ढोली उम्र 47 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम गुलवा तह. व जिला धार

..................निगरानीकर्ता

बनाम

1. महेश पिता घीसालाल जाति ढोली उम्र 30 वर्ष
2. गुड्डीबाई पिता घीसालाल पति राजेश जाति ढोली 40 वर्ष

   दोनो का धंधा खेती निवासी ग्राम गुलवा हामु माचल जिला इंदौर
3. रामकिशन पिता नंदा जाति ढोली उम्र 65 वर्ष

   धंधा खेती निवासी ग्राम गुलवा तह. व जिला धार
4. कृष्णाबाई पिता घीसालाल पति मोहन जाति ढोली उम्र 45 वर्ष

   धंधा खेती निवासी ग्राम राजगढ तह. सरदारपुर जिला धार
5. सुगनाबाई बेवा देवनारायण जाति ढोली उम्र 60 वर्ष

   धंधा खेती निवासी ग्राम गुलवा तह. व जिला धार
6. सुरजबाई पिता देवनारायण जाति ढोली उम्र 40 वर्ष

   धंधा खेती निवासी मुसाखेडी जिला इंदौर
7. रूखमणीबई बेवा घीसा जाति ढोली उम्र 60 वर्ष

   धंधा खेती निवासी ग्राम गुलवा तह. व जिला धार

.....................विपक्षीगण

आज दि. 27.6.17 को

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

27/06/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित महेश व गुड्डीबाई जो घीसालाल के वारीस नही है उन्हे अपील करने का हक नही है जिस रोज अपील पेश की उसके बाद जब तक महेश व गुड्डीबाई अनुविभागीय अधिकारी से मूल न्यायालय की आज्ञा के विरूद्ध अगर एक तिसरा पक्ष जो घीसालाल का वारीस नही है कब्जे में नही है उसने हक के लिए दावा किया है व वहां भी वह पराजित हुआ है जहां हक का डिस्पुट है व हक के लिए महेश व गुड्डीबाई दिवानी में चले गये ऐसी दशा में नामांरतण से

दिनेश

संबंधित कार्यवाही करने का अथवा वरिष्ठ में अपील करने का हक नही है। इसलिए मूल न्यायालय में महेश व गुड्डी ने कोई उज्र नही उठाया न अप्लाय किया न अप्लाय करने का प्रश्न था ऐसी दशा में ग्राम डिग्लाय की भूमि सर्वे नंबर 164, 656, 657, कुल रकबा 2.665 हैक्टर के संबंध में महेश व गुड्डी कोई हक नही है ऐसी दशा में जिस रोज से अपील की है महेश व गुड्डी ने दिनांक 17.04.2017 तक कोई अपील प्रस्तुतीकरण की आज्ञा महेश व गुड्डीबाई के हक में नही है बिना प्रस्तुतीकरण की आज्ञा के प्रोसीड अवैध विचाराधिकार रहित है ऐसी दशा में जहां प्रस्तुतीकरण दोषपूर्ण है ऐसे केसेस में मूल न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 88/2013–14 में आज्ञा दिनांक 17.04.2017 को मेरी धारा 10 सीपीसी की अर्जी व धारा 151 सीपीसी की अर्जी स्वीकार करना था व धारा 5 मियाद विधान की अर्जी महेश व गुड्डी की नामंजुर करना था क्योकि वे घीसालाल के वारीस नही है। उसकी इजाजत अभी तक नही हुई न गुड्डी ने व महेश ने ली है ऐसी दशा में धारा 5 मियाद विधान की अर्जी बिना साक्ष्य लिये संक्षिप्त आदेश के मार्फत मंजुर कर ली व मेरी अर्जी धारा 10 व धारा 151 सीपीसी की नामंजुर कर दी। ऐसी दशा में ये प्रश्न जब तक अपील ग्राह्य की मंजुरी न हो तब तक धारा 10 व धारा 151 सीपीसी की लंबित करना था व धारा 5 मियाद विधान की अर्जी मंजुर का प्रश्न नही है उसे अपास्त करना था क्योकि विपक्षी क्रमांक 1 व 2 स्व. घीसालाल के वारीस नही है उन्होने दावा कर दिया है ऐसी दशा में सक्षम दिवानी न्यायालय का निर्णय महेश व गुड्डी लेना चाहते है उन्होने वह फोरम चुन लिया है ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी ने जहां उन्होने महेश व गुड्डी को मंजुरी नही दी थी ऐसे केसेस में धारा 5 मियाद विधान की अर्जी महेश व गुड्डी की अपास्त करना थी मेरी अर्जी समाप्ति की व स्थगन की मंजुर करना थी जिस बाबद नकल के दिन मुजरा जाते यह निगरानी निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

आधार निगरानी

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 17.04.2017 विधि व तथ्य से स्थिर रखने योग्य नही है।

2– यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 17.04.2017 की आज्ञा आज्ञा की परिभाषा में नही आती है व बोलता हुआ आदेश नही है। अतः अपास्त होना अर्ज है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1911-पीबीआर/2017 जिला धार

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदकपक्ष की ओर से श्री टी0टी0 गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	